पंचायत निगरानी संख्या : 172/2024
उनवान : बाबुलाल बनाम सरपंच ग्राम पंचायत दादाई अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 172/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/171

प्रार्थी :–

बाबुलाल पुत्र श्री मोहनलाल जाति बंजारा निवासी दादाई तहसील रानी जिला पाली राज.

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. सरपंच ग्राम पंचायत दादाई पंचायत समिति देसूरी तहसील देसूरी जिला पाली राज
2. श्रीमती गटूबाई पत्नी कनाराम जाति गवारिया निवासी दादाई पंचायत समिति देसूरी तहसील देसूरी जिला पाली राज.

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत दादाई का संकल्प संख्या 1 दिनांक 20.12.2012 व निरस्त किये जाने वाले पट्टा संख्या 25 दिनांक 20.12.2012 के विरुद्ध पेश की गई।

उपस्थिति :–
1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री संतोष कुमार शर्मा।

–:निर्णय:–

दिनांकः 30.01.2026

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत ग्राम पंचायत चाणौद के ग्राम पंचायत दादाई का संकल्प संख्या 1 दिनांक 20.12.2012 व पट्टा संख्या 25 दिनांक 20.12.2012 के विरुद्ध पेश की गई। निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

निगरानी याचिका के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का पट्टाशुदा मकान ग्राम दादाई गवारीयों के बारला वास ग्राम दादाई में निम्न पड़ौसियों के बीच आया हुआ है:– उत्तर में आम रास्ता व दरवाजा, दक्षिण में धना पुत्र श्री अचला (वर्तमान में भरत पुत्र धना) का मकान, पूर्व में अप्रार्थी संख्या 02 का विवादित परिसर व राजु पुत्र चन्द्राजी का मकान, व बरसाती पानी के निकास की गली, पश्चिम में घीसा पुत्र स्वरुप का मकान आया हुआ है। प्रार्थी के मकान का पट्टा ग्राम पंचायत दादाई द्वारा पट्टा संख्या 49 मिसल संख्या 60/72–73 जारी दिनांक 02.04.1966 को जारी है। वर्तमान में प्रार्थी का उक्त मकान में कब्जा व रहवास है, मकान पुराना बना हुआ है एवं उक्त मकान का बरसाती पानी पूर्व दिशा की ओर स्थित गली में होकर जाता है। गली 6 फीट चौड़ी है।

यह है कि प्रार्थी के मकान चिपते ही पूर्व दिशा की ओर अप्रार्थी संख्या 02 का विवादित भुखण्ड मय कच्चा केलुपोस मकान आया हुआ है जो इस निगरानी में विवादित भूखण्ड के नाम से संबोधित किया जाएगा जो निगरानी के साथ सलंग्न नजरी नक्शे में स्थल संख्या 03 बताया गया है। वादग्रस्त स्थल के उत्तर व पूर्व दिशा में आम रास्ता है और आम रास्ता प्रार्थी के आने जाने व सार्वजनिक लोगो

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 172/2024
उनवान : बाबुलाल बनाम सरपंच ग्राम पंचायत दादाई अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

के लिए उपयोग उपभोग में आता है। ग्राम पंचायत दादाई द्वारा वादग्रस्त स्थल जो आम रास्ता है, उक्त रास्ते की भूमि को सम्मिलित करते हुए अप्रार्थी संख्या 02 के हक में पट्टा संख्या 25 दिनांक 20.12.2012 को प्रस्ताव संख्या 1 के जरिये पट्टा जारी किया जो पूर्ण रुपेण गलत व फर्जी है, क्योंकि प्रार्थी ने ग्राम पंचायत से सत्यापित प्रति मांगी तो पट्टे की प्रति दी गई, लेकिन ग्राम पंचायत मे मिसल नही होना कहा जिससे यह प्रतीत होता है कि पट्टा गलत व फर्जी तरीके से बनाया गया है। प्रार्थी के मकान में आने जाने का एकमात्र रास्ता भूखण्ड के पास होते हुए जाता है जो वादग्रस्त भुखण्ड का पट्टा वादग्रस्त रास्ते में जारी किये जाने से प्रार्थी के आने जाने में बाधा पैदा हुई। प्रार्थी एग्रीव्ड व्यक्ति एवं व्यथित पक्षकार है क्योंकि सलंग्न नजरी नक्शा में अंकित 5 नम्बर की भुमि रास्ते की भुमि है। साथ ही प्रार्थी के पट्टाशुदा का मकान का बरसाती पानी अप्रार्थी संख्या 02 के मकान व राजु पुत्र चन्दाजी के मकान के बीच स्थित 6 फिट चौड़ी गली जो बरसाती पानी के लिए आरक्षित होने से खुली है जिस पर अप्रार्थी संख्या 02 के मकान व राजु पुत्र चन्दाजी के मकान के बीच स्थित 6 फीट चौड़ी गली जो बरसाती पानी के लिए आरक्षित होने से खुली है जिस पर अप्रार्थी संख्या 02 जो विवादित अतिक्रमण करने की कोशिश में है एवं जिस पर अप्रार्थी संख्या 02 गैर कानुनी निर्माण कार्य करवा रही है। प्रार्थी ने जब रोकने की कोशिश की, तब अप्रार्थी संख्या 02 ने कहा कि मेरी पट्टाशुदा भूमि है तब गैर कानुनी पट्टे की जानकारी प्रार्थी को हुई एवं ग्राम पंचायत से पट्टे की नकल प्रार्थी ने ली, तब जानकारी हुई कि अप्रार्थी संख्या 02 को ग्राम पंचायत दादाई ने आम रास्ते की भूमि पर गैर कानुनी पट्टा जारी किया है जो काबिल खारिज है। यदि अप्रार्थी संख्या 02 आम रास्ते की भूमि पर गैर कानुनी विक्रय विलेख की आड में गैर कानुनी निर्माण कर देती है तो आम रास्ता बन्द हो जाएगा एवं बरसाती पानी की निकासी में बाधा पैदा हो जायेगी जो अवैध है। साथ ही प्रार्थी को बरसाती पानी की निकासी में बाधा पैदा होगी, प्रार्थी व्यथित पक्षकार होने से सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। एवं अप्रार्थी संख्या 02 के विरुद्ध साबित है जिससे भी विक्रय विलेख व प्रस्ताव खारिजे काबिल है।

यह है कि अप्रार्थी संख्या 02 ने पट्टा संख्या 25 दिनांक 20.12.2012 प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत में नियमानुसार नियम 145 के तहत आवेदन नहीं किया एवं न ही निरीक्षण शुल्क, नक्शा शुल्क व आवेदन शुल्क जमा करवाया एवं न ही मिसल खोली गई एवं ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा नक्शा मौके पर नही बनाया गया एवं ग्राम पंचायत द्वारा तीन वार्डपंचों की कमेटी गठित नही की गई एव न ही मौके की रिपोर्ट कमेटी ने दी। साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा अस्थाई निर्णय नहीं लिया गया जिससे नियम 146–147 का स्पष्ट उल्लंघन है एव नियम 148 के तहत आम आपत्ति नोटिस विधि अनुसार जारी व तामील व चस्पा नहीं करवाया गया। साथ ही गवाहो के बयान नहीं लिये गये एवं कोरम द्वारा विक्रय विलेख किन आधारो पर जारी किया जिस बाबत प्रस्ताव पारित नहीं किया गया अर्थात् नियम 145 से 163 तक के नियमों की पालना नहीं की गई जिससे प्रस्ताव व विक्रय काबिल खारिज है।

यह है कि राजस्थान उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिपादित सिद्धान्त व आदेशों का अवलोकन किया जावे तो ग्राम पंचायत को आम रास्ते की भूमि पर विक्रय विलेख जारी करने का कोई अधिकार नही है। साथ ही आम रास्ते की भूमि पर जारी विक्रय विलेख कानुनी की नजर में शुन्य दस्तावेज है जिससे भी प्रस्ताव विक्रय विलेख खारिजे काबिल है। नजरी नक्शा मौजा दादाई वादग्रस्त स्थल का साथ सलंग्न है। जो निगरानी का भाग माना,पढा व समझा जावें।

अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जावे एवं ग्राम पंचायत दादाई द्वारा जारी विक्रय विलेख संख्या 25 व प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 20.12.2012 आम रास्ते की भूमि व बरसाती पानी की निकासी की गली पर जारी किये जाने से खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली दर्ज कर अप्रार्थिगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या एक बावजुद सम्यक सूचना के उपस्थित नहीं आए। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या दो की तामीली हेतु दैनिक समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 29.08.2025 को सूचना प्रकाशित की गई, किन्तु अप्रार्थी संख्या दो ने आंदिनांक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय में उपस्थिति नहीं दी। अतः अप्रार्थी संख्या एक एवं दो के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई जाती है।

प्रकरण से संबंधित मूल रिकॉर्ड यथा पट्टा बुक एवं बैठक कार्यवाही विवरण पूर्व से ही प्राप्त होकर शामिल मिसल है, अतः, प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनने का निश्चय किया गया।

काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने वक़्त बहस निवेदन किया कि याचिकाकर्ता के पट्टाशुदा रहवासी भूखण्ड की पूर्व दिशा में बरसाती पानी के निकास हेतु गली अवस्थित है, जिसे अप्रार्थी संख्या दो द्वारा शौचालय का निर्माण कर अवरुद्ध किया गया है एवं उक्त अवरोध भूमि को सम्मिलित करते हुए अप्रार्थी संख्या एक ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थिया के भूखण्ड का आलोच्य पट्टा विलेख जारी किया गया है, जो अवैध एवं अनुचित है। इसी प्रकार अप्रार्थिया के प्रश्नगत भूखण्ड के पूर्व एवं उत्तर दिशा में 10 फीट चौड़ी रास्ता है जिसका प्रार्थी अपने भूखण्ड में आने जाने हेतु उपयोग–उपभोग करता है, किन्तु अप्रार्थिया द्वारा उस रास्ते पर भी अवैध ढंग से चौकी का निर्माण किया गया एवं ग्राम पंचायत दादाई द्वारा उक्त अवरोध की भूमि को आलोच्य पट्टा विलेख में सम्मिलित करते हुए अप्रार्थिया को अवैध रुप से विक्रय की गई है। यह भी, कि प्रश्नगत प्रस्ताव संख्या एक एवं पट्टा विलेख संख्या 25 दिनांक 20.12.2012 को निष्पादित करने से पूर्व राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में यथाउपबन्धित वैधानिक प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है। काबिल अधिवक्ता याचीपक्ष द्वारा बहस को समेकित करते हुए आम रास्ते एवं बरसाती पानी के निकास गली की भूमि को सम्मिलित करते हुए अप्रार्थिया के पक्ष में पारित जैर निगरानी आलोच्य प्रस्ताव संख्या एक एवं पट्टा संख्या 25 दिनांक 20.12.2012 को अपास्त करने का निवेदन किया एवं अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए:–

1. 590 2019(2) CT (RAJ)
2. 1476 2025(4) DNJ (RAJ)
3. 184 2020 (1) CT (RAJ)
4. 2016 (4) DNJ (RAJ) 1799

प्रार्थीपक्ष की एकतरफा बहस सुनी गई तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया। याचिकाकर्ता ने ज़ैर निगरानी आलोच्य प्रस्ताव एवं पट्टा विलेख बज़तरफ अप्रार्थिया को मुख्यतः इस आधार पर चुनौति दी है कि प्रार्थी के रहवासी भूखण्ड की पूर्व दिशा में स्थित बरसाती पानी की निकास गली तथा विवादित भूखण्ड के पूर्व दिशा में स्थित आम रास्ते की आंशिक भूमियों को सम्मिलित करते हुए अवैधानिक ढंग से आलोच्य विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है। प्रार्थीपक्ष ने याचिका में यह अंकित किया है कि उसके रहवासी भूखण्ड तक पहूंच का रास्ता तथा बरसाती पानी की निकासी प्रभावित होने से वह व्यथित एवं हितबद्ध पक्षकार है।

इस सम्बन्ध में, प्रार्थीपक्ष द्वारा याचिका पत्र के साथ सलंग्न एवं वक़्त सुनवाई उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया, जिससे यह ज़ाहिर होता है कि प्रार्थी एवं अन्य वादीगण द्वारा अप्रार्थिया एवं उसके परिवारजनों के विरुद्ध न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट देसूरी में एक वाद बाबत् घोषणा रास्ता सुखाधिकार एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था।

पत्रावली में उपलब्ध उक्त वादपत्र एवं आदेशिका की प्रमाणित प्रतिलिपियों से यह ज्ञात होता है कि उक्त वाद इसी भूखण्ड से सम्बन्धित है जो कि हस्तगत निगरानी याचिका की विषयवस्तु है तथा माननीय सिविल न्यायालय में प्रस्तुत यह वाद दिनांक 26.10.2016 को प्रकरण संख्या 39/2016 के रुप में दर्ज होकर आदिनांक लम्बित है। उभयपक्षकारों के मध्य लम्बित उक्त सिविल वाद के वादपत्र के अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि प्रार्थी/वादी द्वारा सिविल न्यायालय में भी ज़ैर निगरानी आलोच्य पट्टा विलेख संख्या 25 दिनांक 20.12.2012 को समान आधारों पर ही चुनौति देते हुए वादपत्र के पद संख्या दस में आलोच्य पट्टा विलेख को अपास्त करने की इस्तदुआ चाही है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 172/2024
उनवान : बाबुलाल बनाम सरपंच ग्राम पंचायत दादाई अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

सारांशतः, प्रार्थी द्वारा समान विषयवस्तु पर एवं समान अप्रार्थी के विरुद्ध इस न्यायालय के साथ साथ माननीय सिविल न्यायालय में भी समानान्तर न्यायिक कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। जो दोनो ही न्यायालय में जैर सुनवाई प्रगतिरत है। यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि हस्तगत निगरानी याचिका के माध्यम से प्रार्थी द्वारा आम रास्ते एवं बरसाती पानी को निकास गली को मुख्यतः आधार बनाकर आलोच्य प्रस्ताव एवं पट्टा विलेख को चुनौति दी गई है एवं समानान्तर रुप से आम रास्ते एवं निकास गली की घोषणा तथा सुखाधिकार की मान्यता हेतु प्रार्थी ने माननीय सिविल न्यायालय देसूरी से भी अनुतोष चाहा है तथा आलोच्य पट्टा विलेख को निरस्त करने की भी मांग की है।

इस संबंध में न्यायालय हाजा का यह विनम्र अभिमत है कि प्रश्नगत आम रास्ते एवं बरसाती पानी की निकास गली की घोषणा एवं सुखाधिकार की मान्यता पर माननीय सिविल न्यायालय द्वारा कोई अन्तिम निर्णय पारित करने से पूर्व इस न्यायालय द्वारा इन्हीं समान आधारों पर पट्टा विलेख एवं प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई निर्णय पारित करना न्यायोचित नहीं है, ऐसा करना न केवल माननीय सिविल न्यायालय द्वारा सिविल वाद प्रकरण संख्या 39/16 के अन्तिम निस्तारण को प्रभावित करेगा अपितु न्यायिक वाद बाहुल्यता की नकारात्मक प्रवृति को समर्थन प्रदान करने वाला कदम भी सिद्ध होगा।

साथ ही, विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के उपबन्धानुसार पंचायत निगरानी याचिका प्रस्तुत करने हेतु याची का 'हितबद्ध व्यक्ति' होना एक पूर्वशर्त है। हस्तगत प्रकरण में याची द्वारा आम रास्ते एवं बरसाती पानी की निकास गली में अवरोध के आधार पर स्वयं को 'हितबद्ध व्यक्ति' मानने का तर्क प्रस्तुत किया है एवं उक्त तर्क माननीय सिविल न्यायालय में लम्बित सुखाधिकार तथा घोषणात्मक दावें में साक्ष्य सुनवाई एवं जिरह के आधार पर ही सिद्ध किया जा सकता है।

अतः प्रश्नगत निगरानी याचिका माननीय सिविल न्यायालय देसूरी में समानान्तर वाद लम्बित होने के कारण आलोच्य प्रस्ताव एवं विक्रय विलेख का गुणावगुण आधार पर विवेचन किए बिना ही ख़ारिज की जाती है। प्रार्थी सिविल वाद प्रकरण संख्या 39/16 के अन्तिम निस्तारण उपरान्त माफ़िक निर्णय पुनः निगरानी याचिका प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड ग्राम पंचायत को पुनः लौटाया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

Scanned with OKEN Scanner